THE NDDB
(TRANSACTION OF BUSINESS)
REGULATIONS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2009/वैशाख 10, 1931
No. 73] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2009/VAISAKHA 10, 1931

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2009

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) संशोधन विनियम, 2009

सं. दि.: एनडीडीबी-01/09.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस ओर से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मण्डल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2009 कहे जाएंगे।

(2) इन विनियमों में जब तक अन्यथा न कहा जाए, ये उपबन्ध भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) विनियम, 1988 में संशोधन :

(1) विनियम 14 के उप-विनियम (2) में, "प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "पूर्णकालिक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

(2) विनियम 14 के उप-विनियम (7) में, "प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "पूर्णकालिक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

(3) विनियम 19, में "प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "पूर्णकालिक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

दीपक टिक्कू, प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन/III/4/132/09-असा.]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2009

The National Dairy Development Board (Transaction of Business) (Amendment) Regulations, 2009

No. DEL : NDDB-01/09.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Transaction of Business) (Amendment) Regulations, 2009.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board (Transaction of Business) Regulations, 1988 :

(1) In sub-regulation (2) of Regulation 14, for the words "Managing Director", the words "whole-time Director" shall be substituted.

(2) In sub-regulation (7) of Regulation 14, for the words "Managing Director", the words "whole-time Director" shall be substituted.

(3) In Regulation 19, for the words "Managing Director", the words "whole-time Director" shall be subtituted.

DEEPAK TIKKU, Managing Director

[ADVT/III/4/132/09-Exty.]

1637 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 29, 1988/फाल्गुन 10, 1909

No. 9] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 29, 1988/PHALGUNA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1988

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में उसे प्राप्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष उक्त अधिनियम की धारा 40 के अनुसार निदेशक मंडल के कार्यों का निष्पादन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1988 कहा जाएगा ;

(2) ये भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन विनियमनों में यदि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित नहीं है

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) से है ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय धारा 8 के अनुसार गठित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल से है ;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राडेविबोर्ड के अध्यक्ष से है जो उसका पूर्ण समय मुख्य कार्यपालक होगा ;

(घ) 'लेखा प्रमुख" अर्थात् अध्यक्ष द्वारा इस हेतु नामित अधिकारी ;

(ङ) "निदेशक" से अभिप्राय राडेविबोर्ड के बोर्ड निदेशक से है ;

(च) "प्रबन्ध निदेशक" से अभिप्राय राडेविबोर्ड के उस अधिकारी से है जिसे राडेविबोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(छ) "प्रबंधित एकक" अर्थात् वह संगठन या परियोजना जो राडेविबोर्ड द्वारा प्रबंधित है मगर स्वामित्व नहीं है ;

(ज) "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड" या राडेविबोर्ड अर्थात् धारा 4 के अन्तर्गत गठित निगमित निकाय ;

(झ) "धारा" अर्थात् अधिनियम की धारा

(ञ) "पूरक कंपनी" अर्थात् राडेविबोर्ड की कोई पूरक जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के रूप में पंजीकृत किया गया है;

(ट) "पूरक एकक" अर्थात् राडेविबोर्ड द्वारा स्वामित्व एकक या परियोजना चाहे प्रबंधित हो अथवा नहीं ;

(2) इन विनियमनों में प्रयुक्त किए गए परन्तु परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें अधिनियम में प्रयुक्त किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है

अध्याय II

बोर्ड तथा इसके सदस्य

3. बोर्ड की बैठकें

(1) कार्य संचालन के लिए बोर्ड यथा आवश्यक प्रायः बैठक करेगा परन्तु एक वर्ष में चार बार से कम बैठक नहीं करेगा ?

(2) बोर्ड की बैठकें राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रधान कार्यालय या उसके किसी भी कार्यालय में उन तिथियों को होगी जिसका निर्देश अध्यक्ष देंगे ;

(3) बोर्ड की बैठकों का संयोजन अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत एक प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा और बैठक की कार्यसूची उनके द्वारा स्वीकृत की जाएगी ;

(4) सामान्यतः बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी जिसमें बैठक में किए जाने वाले कार्य का उल्लेख किया जाएगा तथा उसे प्रत्येक निदेशक को भेजा जायेगा ;

बशर्ते कि यदि अध्यक्ष बोर्ड की बैठक अतिशीघ्र करना आवश्यक समझते हैं तो वह सूचना की अवधि को उस हद तक कम कर सकता है जैसा कि परिस्थितियों के अंतर्गत आवश्यक होगा तथा सूचना केवल उन सदस्यों को दी जाएगी जो उस समय भारत में होंगे।

(5) किसी निदेशक की नियुक्ति के संबंध में या बोर्ड में किसी रिक्ति के संबंध में कोई चूक या किसी निदेशक या अन्य व्यक्ति द्वारा बोर्ड की किसी बैठक के संबंध में सूचना देने या उसकी प्राप्ति के संबंध में किसी कमी या चूक के आधार पर किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं मानी जाएगी

(6) बोर्ड की बैठक में, बैठक संयोजन से संबंधित मामले के अलावा किसी अन्य पर विचार नहीं किया जाएगा मगर अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामले पर भी विचार किया जा सकता है ।

(7) बोर्ड की बैठक में कार्यसंचालन के लिए चार निदेशक गणपूर्ति करेंगे।

(8) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा विधिवत् नामित प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(9) प्रत्येक निदेशक का एक मत होगा तथा मत में बराबरी होने पर अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णयक मत देने का अधिकार होगा।

(10) यदि बोर्ड की किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक के संयोजक द्वारा निर्धारित तिथि के दस दिनों के भीतर बैठक स्थगित की जाएगी तथा सदस्यों को इसकी तीन स्पष्ट दिनों की सूचना दी जाएगी तथा ऐसी स्थगित बैठक में, यदि कोई गणपूर्ति नहीं है, तो उपस्थित निदेशक गणपूर्ति करेंगे तथा बैठक में मूल सूचना में उल्लिखित कार्य के अलावा अन्य कोई कार्ड संचालन नहीं किया जायेगा;

(11) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति अध्यक्ष द्वारा उस बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र निदेशकों को जानकारी के लिए परिपत्रित की जाएगी।

4. निदेशक या समिति के सदस्य के हित का प्रकटीकरण

बोर्ड का प्रत्येक निदेशक या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति का सदस्य जो राडेविबोर्ड की ओर से अथवा द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी संविदा, ऋण नियुक्ति या व्यवस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या इच्छुक है वह उसके संबंध या हित को बोर्ड या समिति को यथास्थिति प्रकट करेगा तथा बोड या समिति की बैठक में उस संविदा, ऋण नियुक्ति या व्यवस्था पर विचार विमर्श होने के दौरान वह बैठक से हट जाएगा ;

बशर्ते कि यदि यह संविदा, ऋण या व्यवस्था किसी कंपनी या सहकारी संस्थान के साथ करने का प्रस्ताव है तो निदेशक का बैठक से हटना आवश्यक नहीं होगा जब उसका संबंध या हित अकेले या किसी अन्य निदेशक के साथ या बोर्ड के कुल निदेशकों के साथ उस कंपनी या सहकारी में प्रदत्त हिस्सा पूंजी दो प्रतिशत से अधिक नहीं है।

आगे यह शर्त भी है कि राडेविबोर्ड की ओर से या राडेवि बोर्ड के लिए किसी कंपनी या सहकारी में किन्हीं हिस्सों को रखना, बोर्ड के किसी सदस्य के संबंध या हित को निश्चित करते समय नहीं गिना जाएगा।

5. परिचालन द्वारा संकल्प ग्रहण

भारत में तब मौजूदा सभी निदेशकों को परिपत्रित कोई लिखित संकल्प तथा कम से कम चार निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं इसमें अध्यक्ष व विनियमन (3) के उप-विनियमन (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत एक प्रबंध निदेशक द्वारा पृष्ठांकित है तो यह उतना ही प्रमाणिक एवं प्रभावी होगा जितना बोर्ड द्वारा पारित किया गया संकल्प अंतिम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के बाद हो जाता है।

बशर्ते कि उपर्युक्त तरीके से पारित प्रत्येक संकल्प को बोर्ड की अगली बैठक में जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

6. निदेशकों के मध्य रिक्तियां पूर्ति का तरीका

(1) जब बोर्ड का निदेशक, पदेन निदेशक को छोड़कर मर जाता है या त्यागपत्र देता है तो या त्यागपत्र दिया हुआ माना जाता है या कार्यालय से हटाया जाता है या कार्य करने के अयोग्य होता है तो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 8 में व्यवस्थित तरीके से किसी व्यक्ति को नामित कर रिक्ति भरेगी।

(2) बोर्ड में किसी प्रकार की रिक्ति होते हुए भी उसका कार्य पूर्ववत जारी रहेगा।

7. विशिष्ट निदेशकों के कार्यालय की अवधि

(1) एक व्यक्ति, जो कार्यालय या पद को ग्रहण करने के कारण निदेशक बनता (तो यदि वह उस कार्यालय या पद को छोड़ देता है तो वह बोर्ड का निदेशक नहीं रहेगा।

बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की पुर्ननियुक्ति की जा सकती है।

(2) जो व्यक्ति विनियमन 6 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गया है वह उस समय तक कार्यभार सम्भालेगा, यदि उस निदेशक जिसके स्थान पर वह आया है, हकदार होता और निक्ति न हुई होती।

8. निदेशकों का त्यागपत्र

बोर्ड के किसी निदेशक का त्यागपत्र अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा तथा वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसे स्वीकार न कर ले।

9. बोर्ड से निदेशकों का निष्कासन

केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के पश्चात अपने द्वारा नामित किसी निदेशक को कार्यालय से हटा सकती है

(क) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है तथा सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित किया है, या

(ख) यदि वह एक अमुक्त दिवालिया है, या

(ग) यदि नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में वह दोषी सिद्ध है, या

(घ) यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने से असफल रहता है, या

(ङ.) यदि बोर्ड के मत में किसी संबंध में उसका आचरण चरित्र से अपमानजनक या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के हित के प्रतिकूल है, या

(च) यदि वह किसी उपयुक्त कारण के बिना अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अंतर्गत बने विनियमनों का पालन करने में असफल रहा है।

10. भारत से अनुपस्थिति

यदि बोर्ड निदेशक भारत से बाहर जाता है तो बाहर जाने से पूर्व वह अध्यक्ष को अपने प्रस्थान की तिथि और भारत आने की संभावित तिथि की सूचना देगा।

11. सदस्यता पंजी

(1) अध्यक्ष निदेशकों के नाम और उनके पते प्राप्त कर उनका अभिलेख रखेगा।

(2) प्रत्येक निदेशक राडेविबोर्ड को अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा और यदि वह पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देता है तो अधिकारिक अभिलेख में पता सभी कार्यों के लिए उसका अधिकारिक पता माना जाएगा।

12. कुछ निदेशकों को देय भत्ते

(1) अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को छोड़कर प्रत्येक निदेशक को राडेविबोर्ड द्वारा ऐसे भत्ते दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक निदेशक के संबंध में निश्चित करेगी।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) की व्यवस्था के अनुसार बोर्ड में संबंधित व्यक्ति को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई राशि (भत्ते के माध्यम से या अन्यथा) अदा की जाएगी।

अध्याय III

प्रबंध समिति और इसके सदस्य

13. प्रबंधित एककों और पूरक एककों के प्रबंध समिति का गठन

(1) राडेविबोर्ड के प्रबंधित एकक और पूरक एककों के संबंध में जिनके लिए प्रबंध समिति का मत है कि उनका कार्य प्रबंध समितियों के माध्यम से अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, वह धारा 12 की व्यवस्था के अनुसार प्रबंध समिति गठित कर सकती है।

(2) राडेविबोर्ड का एक वरिष्ठ अधिकारी या पूरक एकक अथवा प्रबंधित एकक का वरिष्ठतम अधिकारी जैसा कि उप-विनियमन (1) में है, यथा स्थिति उस प्रबंध समिति का संयोजक होगा एवं वह उस प्रबंधित एकक या पूरक एकक के संचालन का उत्तरदायी होगा।

14. प्रबंध समिति की बैठकें

(1) प्रत्येक प्रबंध समिति यथा आवश्यक प्रायः अपने कार्य संचालन के लिए बैठक करेगी परन्तु वर्ष में चार बार से कम बैठक नहीं करेगी।

(2) राडेविबोर्ड के अध्यक्ष, जहां वह प्रबंध समिति के सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष होंगे, और जहां वह सदस्य नहीं हैं, तो राडेविबोर्ड का एक प्रबंध निदेशक, जो समिति का सदस्य है, वह समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) बोर्ड की बैठकें विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) में संदर्भित संयोजक द्वारा संयोजित की जाएंगी तथा उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा इस कार्य के लिए नामित किसी अन्य सदस्य द्वारा संयोजित की जाएगी तथा समिति की बैठक राडेवि बोर्ड के प्रधान कार्यालय या उसके किसी भी कार्यालय या संबंधित इकाई में प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिए गए समय में होंगी।

(4) समिति की किसी बैठक के लिए साधारणतः कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी जिसमें बैठक में किए जाने वाले कार्य का उल्लेख होगा तथा वह प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी बशर्ते कि यदि अध्यक्ष या बैठक संयोजित करने वाला कोई अन्य व्यक्ति समिति की बैठक अतिशीघ्र करना आवश्यक समझता है तो इसकी अवधि पांच दिन कम कर दी जाएगी तथा सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को दी जाएगी जो भारत में मौजूद हैं।

(5) जिस कार्य के लिए बैठक संयोजित की गई है समिति की बैठक में उसके अलावा किसी अन्य पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।

(6) प्रबंध समिति की बैठक में कार्य संचालन के लिए तीन सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(7) बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक यथा स्थिति, द्वारा की जाएगी।

(8) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा मतों में समानता होने पर, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरे अथवा निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(9) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र सदस्यों को जानकारी के लिए परिपत्रित की जाएगी तथा बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी।

15. प्रबंध समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क

(अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या राडेविबोर्ड या पूरक एकक या संचालित एकक या पुरोगामी परियोजना के अधिकारी को छोड़कर) प्रत्येक सदस्य को राडेविबोर्ड द्वारा समिति की किसी बैठक में उपस्थिति के लिए प्रत्येक बैठक के लिए प्रति दिन का शुल्क दिया जाएगा जिसका निर्धारण समय-समय पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा :

बशर्ते कि यदि सदस्य किसी केन्द्र या राज्य सरकार का अधिकारी है तो वह राडेविबोर्ड से उस हद तक यात्रा और

विराम भत्ते का दावा कर सकता है जिसका दावा वह संबंधित सरकार से नहीं कर रहा है।

16. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं विराम भत्ते का भुगतान

प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या रा डे वि बोर्ड के अधिकारी या इसके प्रबंधित एकक या पूरक एकक के अधिकारी को छोड़कर) को विनियम 15 के अंतर्गत शुल्क के अलावा, जिसका वह हकदार है, उसके यात्रा एवं विराम के खर्चे जो रा डे वि बोर्ड के प्रबंध निदेशक पर लागू होते हैं उसी दर पर समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा करने पर दिए जाएंगे।

17. सदस्यता की अवधि

जब कोई व्यक्ति उसके द्वारा कार्यालय या पद संभालने के कारण किसी प्रबंध समिति का सदस्य बनता है तो वह उस कार्यालय या पद को छोड़ देता है तब, उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा उसे बोर्ड उसके उत्तराधिकारी से प्रतिस्थापित कर सकता है।

18. प्रबंध समिति से सदस्य का निष्कासन

(1) बोर्ड प्रबंध समिति से किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है यदि :

(क) वह अस्वस्थ दिमाग का है तथा सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित किया है, या

(ख) वह एक अमुक्त दिवालिया है, या

(ग) नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में वह दोषी सिद्ध है, या

(घ) अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने से असफल रहता है, या

(ङ) वह किसी उपयुक्त कारण के बिना अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अन्तर्गत बने विनियमनों का पालन करने में असफल रहा है।

(2) प्रबंध समिति के किसी सदस्य की कार्यावधि को पहले समाप्त करने के बोर्ड के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी सदस्य समिति के सदस्य बनने की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे परन्तु वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) जो व्यक्ति अपने कार्यालय के आधार पर सदस्य है वह समिति की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा तथा वह ऐसी बैठकों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

(4) यदि कोई सदस्य प्रबंध समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय की अनुपालना करने या निर्देश का पालन करने में असफल होता है अथवा किसी संबंध में उसका आचरण प्रबंध समिति के मतानुसार चरित्र से अपमानजनक अथवा रा डे वि बोर्ड या इसके किसी प्रबंधित या पूरक एकक के हित के प्रतिकूल है तो प्रबंध समिति के अध्यक्ष की सिफारिशों पर कार्य करते हुए उसे बोर्ड द्वारा समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है।

(5) किसी सदस्य का प्रबंध समिति से त्यागपत्र समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा तथा वह तब तक प्रभावी नहीं होता तब तक बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष उसे स्वीकार नहीं कर लेता।

19. प्रबंध समिति का संकल्प परिचालन द्वारा ग्रहण

प्रबंध समिति के सदस्यों को परिपत्रित किया गया कोई लिखित संकल्प तथा वह उनमें से बहुमत द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित किया गया यदि इसके पृष्ठांकितों में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल है (जो समिति का सदस्य है) तो जिस तिथि को अंतिम हस्ताक्षरकर्ता उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उस तिथि से वह प्रबंध समिति द्वारा पारित संकल्प के समान वैध एवं प्रभावी होगा, बशर्ते कि कम से कम तीन (अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यथा स्थिति) व्यक्तियों द्वारा संकल्प अनुमोदित किया गया हो। आगे शर्त है कि उपर्युक्त तरीके से पारित प्रत्येक संकल्प को जानकारी के लिए प्रबंध समिति की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

20. प्रबंधित एककों के लिए विशेष व्यवस्था

(1) किसी प्रबंधित एकक के मामले में अध्यक्ष आवश्यकतानुसार जैसा वह उचित समझे एकक के प्रबंधक की व्यवस्था कर सकते हैं और इस संबंध में आवश्यक व्यय के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

(2) उप विनियमन (i) के अन्तर्गत प्राधिकृति की प्रत्येक व्यवस्था को जल्द से जल्द बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय III

सामान्य प्रावधान

21. रा डे वि बोर्ड पर बाध्यकारी संविदाओं के निष्पादन का तरीका एवं ढंग

(1) संविदाएं (गारंटी सहित) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की ओर से निम्नलिखित तरीके से बनायी जाएं, अर्थात :—

(क) कोई संविदा जो यदि निजी व्यक्तियों के बीच की जाएगी तो कानूनन लिखित रूप में अपेक्षित होगी तथा प्रभारित पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी, संविदा, रा डे वि बोर्ड की ओर से की जाए बशर्ते कि यह लिखित रूप में की जाएगी तथा अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी तथा उसी तरीके से परिवर्तित की जाएगी या निभायी जाएंगी।

(ख) कोई व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक के पद से नीचे न हो, तथा अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्राधिकृत हो, वह उन प्रतिबंधों के अधीन जिन्हें अधिरोपित करवाना वह उचित समझे लिखित रूप से किसी अन्य अधिकारी या बोर्ड के अधिकारियों या किसी अन्य निकाय, संस्था या संगठन जो बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में हों उसके अधिकारियों को बोर्ड की ओर से संविदा निष्पादित एवं हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(2) इन विनियमनों के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं कानूनन प्रभावी रहेगी तथा रा डे वि बोर्ड तथा उसकी सभी पार्टियां और उनके कानूनी प्रतिनिधि उसमें बाध्यकारी होंगे।

(3) संविदाएं रा डे वि बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं रहेगी यदि वे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित नहीं की जाती है।

(4) रा डे वि बोर्ड द्वारा की गई संविदाओं और आश्वासनों के लिए न तो प्रबन्ध निदेशक और न ही संविदा हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकृत कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा न ही ऐसे आश्वासनों अथवा संविदाओं से उत्पन्न किसी उत्तरदायित्व को रा डे वि बोर्ड द्वारा निभाया जाएगा।

22. मुकदमों में प्रतिनिधित्व एवं कार्यवाहियां

(1) प्रबंध निदेशक, अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी रा डे वि बोर्ड की ओर से कोई वाद करने या प्रतिवाद करने के लिए या अन्य कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(2) रा डे वि बोर्ड की ओर से वादपत्र, लिखित ब्यान, शपथपत्र और कानूनी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज प्रबंध निदेशक या उप-विनियमन (1) के अंतर्गत विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं साक्ष्यांकित किए जाएगें तथा प्रत्येक ऐसा अधिकारी राडेवविबोर्ड के मान्यताप्राप्त एजेंट के रूप में न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य निकाय में कार्यवाही के प्रयोजन के लिए न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी में या के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है तथा उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वकालतनामा, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार निष्पादित कर सकता है।

(3) रा डे वि बोर्ड के किन्हीं कार्यकलापों से संबंधित किन्हीं विवादों का समझौता करने, उन्हें निपटाने या उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए प्रबंध निदेशक या इस संबन्ध में प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सक्षम होगा।

23. रा डे वि बोर्ड की ओर से शक्तियों का प्रयोग किसी के द्वारा किया जाए

(1) रा डे वि बोर्ड की ओर से या के द्वारा उपगत खर्चे के संबंध में अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बने विनियमनों के अधीन, तथा राडेविबोर्ड के कार्य संचालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा सामान्यत: या किसी विशेष मामले में दिए गए किसी निर्देश को कोई प्रबन्ध निदेशक सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा रा डे वि बोर्ड द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले सभी या किसी कार्य या कारबार को कर सकता है।

(2) कोई अन्य अधिकारी, यदि उसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो वह जिस कार्यालय या विभाग में नियोजित है, उससे सबंधित मामलों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे मामलों के संबन्ध में, वह उन सभी कार्य तथा कारबार जो रा डे वि बोर्ड द्वारा निभाए जाने अथवा किए जाने है उस सीमा तक कर सकता है जितना उसे प्राधिकृत किया गया है, तथापि, ये इसके पश्चात् उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगे अर्थात्:

(क) रा डे वि बोर्ड की ओर से किसी स्वीकृति या व्यय उपगत करने की शक्ति ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन होगी जो बोर्ड समय समय पर देगा।

(ख) किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना या कार्रवाई करना उन निर्देशों के अधीन होगा, यदि कोई हैं, जो किसी उच्च अधिकारी या इस संबन्ध में प्राधिकारी द्वारा दिए जाए।

(3) किसी शक्ति का प्रयोग, कार्य का निष्पादन या कार्रवाई या कारबार का करना केवल इस आधार पर कि यह रा डे वि बोर्ड की ओर से या द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं हैं, कार्य निष्पादन या कार्रवाई या कारबार करना नहीं है, अथवा कि इसे ऐसे कार्यों के उचित निष्पादन अन्य प्रकार से किया गया है अथवा किसी कारवाई या कारबार को करते समय किसी विनियमन या किसी निर्देश को कार्यान्वित नहीं किया गया है या ऐसे किसी विनियमन या निर्देश पर गलत रूप से कार्रवाई की गई है, उसे अवैध और अप्रभावीं नहीं माना जाएगा।

24. रा ड वि बोर्ड को नोटिस तामील करना

राडेविबोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस तामील किया जा सकता है, अथवा इसे रा ड वि बोर्ड के प्रधान कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

25. बोर्ड द्वारा नियंत्रण

(1) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (i) के अंतर्गत इस पर प्रवृत्त सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा, नियंत्रण और राडेविबोर्ड के मामलों और व्यववसायों के प्रबंध की शक्तियों के प्रयोग में से विनियमन बोर्ड के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाडेगें और बोर्ड इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह अध्यक्ष प्रबंध-निदेशक या प्रबंध समिति को, जैसा भी हो आवश्यक निर्देश दे।

(2) उप विनियमन (1) या इस विनियमन में अन्तर्निहि कोई बात धारा 11 की उप धारा (2) के

अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के कार्यों को निष्पादित करने की शक्तियों के प्रतिकूल नहीं मानी जाएगी तथा जब अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करता है तो इसकी सूचना बोर्ड को दी जाएगी।

26. रिआयत की शक्ति

बोर्ड या इसके किसी अन्य संगठन के कार्यनिष्पादन में सुविधा या इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अध्यक्ष यदि यह समझता है कि इन विनियमनों के किसी उपबन्धों में रिआयत लाया जाना आवश्यक है तो वह बोर्ड की अनुमति से आवश्यक स्तर तक रिआयत ला सकता है जिसकी उन परिस्थितियों में आवश्यकता है।

27. अध्यक्ष की अवशिष्ट शक्तियां

अधिनियम तथा उपरोक्त विनियमनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों में बिना किसी पूर्वाग्रह के जो वित्त लेखों और संबंधित मामलों का निपटान करती है ताकि राडेविबोर्ड और इसके संगठनों का कार्यनिष्पादन सुचारू रूप से हो सके, विनियमन की दिशा निर्धारित करते हुए अभिव्यक्ति करने एवं किसी प्रकार के संशयित मामले पर प्रकाश डालने के सक्षम अधिकारी अध्यक्ष होंगे।

28. संचालन उन्मुक्तता एवं नम्यता सुरक्षित

निधियों के संचालन में बोर्ड को वही उन्मुक्तता व लोच प्राप्त रहेगी जो अधिनियम के लागू होने से पूर्व पहले की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्राप्त की।

29. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प यह विनियमन बोर्ड की प्रथम बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

वी. कुरियनअध्यक्ष,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATIONS, 1988

In exercise of the powers conferred by section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling him in that behalf, the Chairman of the National Dairy Development Board performing the functions of the Board of directors in accordance with section 40 of the said Act hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I
INTRODUCTORY

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Transaction of Business) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act", means the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987);

(b) "Board", means the Board of directors of the National Dairy Development Board constituted under section 8;

(c) "Chairman", means the Chairman of the National Dairy Development Board being the full time Chief Executive thereof;

(d) "director", means a director on the Board of the NDDB;

(e) "Chief of the Accounts", means an officer designated as such by the Chairman;

(f) "Managing Director", means an officer of the NDDB appointed as a Managing Director thereof;

(g) "Managed Unit", means an organisation or a project managed by the NDDB but not owned by it.

(h) "National Dairy Development Board" or "NDDB", means the body corporate constituted under section 4;

(i) "section", means the section of the Act;

(j) "Subsidiary Company", means any subsidiary of the NDDB which has been registered as a Company under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(k) "subsidiary Unit", means a Unit or a project which is owned by NDDB whether managed by it or not.

(2) All words and expression used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

CHAPTER-II
THE BOARD AND ITS MEMBERS

3. Meetings of the Board

(1) The Board shall meet as often as may be necessary for the conduct of business but not less than four times in a year.

(2) The meetings of the Board shall be held at the Head Office of the National Dairy Development Board or at any of its Offices on such dates as the Chairman may direct.

(3) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman or in the absence of the Chairman by a Managing Director authorised in this behalf by the Chairman and the agenda for the meeting shall be approved by them.

(4) Ordinarily a notice, of not less than ten days, shall be given of any meeting of the Board indicating

the business to be transacted at the meeting and the same shall be sent to every director.

Provided that in case the Chairman considers it necessary to hold the meeting of the Board urgently, the period of notice may be reduced to such extent as he may deem fit under the circumstances and notice need be given only to the members who are in India then.

(5) Any defect, in respect of the appointment of a director or in relation to any vacancy in the Board, or any defect or omission in relation to any meeting of the Board in the matter of giving notice to, or the receipt thereof by, any director or other person, shall not be a ground for treating the proceedings at any meeting as invalid.

(6) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at the meetting of the Board, except with the consent of the Chairman of the meeting.

(7) Four directors shall form the quorum for the transaction of business at a meeting of the Board.

(8) The Chairman of the National Dairy Development Board shall preside over the meeting and in his absence a Managing Director duly nominated by the Chairman.

(9) Every director shall have one vote and in the case of equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(10) If at any meeting of the Board, there is no quorum, the meeting shall stand adjourned to a date within ten days to be fixed by the Convenor of the meeting and to be communicated to the members by giving three clear days notice and at such adjourned meeting, if no quorum is present, the directors present shall form the quorum but no business other than that specified in the original notice shall be transacted.

(11) A copy of the proceedings of every meeting of the Board shall be circulated for the information of the directors as soon as possible after the minutes of the meeting are approved by the Chairman.

4. Disclosure of interest of a director or member of committee.

Every director of the Board or member of any committee appointed by the Board, who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, appointment or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the NDDB, shall disclose the nature of this concern or interest to the Board or to the committee, as the case may be, and shall withdraw from the meeting of the Board or committee, when such contract, loan, appointment or arrangement is discussed :

Provided that in the case of any such contract, loan or arrangement, proposed to be entered into with a company, or a cooperative institution, it shall not be necessary for a director to withdraw from a meeting, when his concern or interest consist in his holding, either signly or together with any other director or directors of the Board in the aggregate, not more than two per cent of the paid-up share capital in such company or cooperative institution :

Provided further that any holding of shares in a company or cooperative institution for or on behalf of the NDDB shall not be taken into account in determining the concern or interest of any member of the Board.

5. Resolution adopted by circulation

Any resolution in writing circulated to all the directors then in India and approved by at least four directors shall, if it includes the Chairman or a Managing Director authorised by the Chairman under sub-regulation (3) of regulation 3, amongst its endorsees, be as valid and effective as a resolution passed by the Board on the date on which it is signed by the last signatory :

Provided that every resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board for information.

6. Manner of filling vacancies among directors

(1) When a director of the Board, other than a ex-officio director, dies or resigns or is deemed to have resigned or removed from the office or becomes incapable of acting, the Central Government shall nominate a person to fill the vacancy in the manner provided in Section 8 of the Act.

(2) The Board shall continue to function notwithstanding any vacancy therein.

7. Duration of office of certain directors

(1) A person, who becomes a director by reason of the office or post he holds, shall cease to be a director of the Board if he ceases to hold that office or the post; provided that any such person may be reappointed.

(2) A person, appointed to fill a casual vacancy under sub-regulation (1) of regulation 6, shall hold office so long as the director, whose place he filled, would have been entitled to hold office if the vacancy had not arisen.

8. Resignation of directors

The resignation of any director of the Board shall be tendered to the Chairman and shall not take effect until it has been accepted by the Central Government.

9. Removal of directors from the Board

The Central Government, after consultation with the Chairman, may remove from the office, any director nominated by it—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by the competent Court ; or

(c) if he is convicted of an offence involving moral turpitude ; or

(b) if he is an undischarged insolvent ; or

(d) if without the leave of the Chairman he fails to attend three consecutive meetings of the Board; or

(e) if his conduct in any respect is, in the opinion of the Board, derogatory in character or prejudicial to the interests of the National Dairy Development Board; or

(f) if he, without reasonable cause, fails to observe any of the provisions of the Act or of the regulations made thereunder.

10. Absence from India

Before a director goes out of India, he shall intimate the Chairman about the date of his departure and the date of expected return to India.

11. Membership Roll

(1) The Chairman shall cause a record of the names of directors and their addresses to be maintained.

(2) Every director shall keep the NDDB informed of any change in his address and if he fails to inform the change of address, then the address in the official records shall for all purposes be deemed to be his address.

12. Allowance payable to certain directors

(1) Every director, other than Chairman or a Managing Director, shall be paid by the NDDB such allowances as the Central Government may determine in respect of each such director.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that the person associated with the Board as provided in sub-section (4) of section 8 of the Act shall be paid such amount (by way of allowance or otherwise) as the Board may, from time to time, determine.

CHAPTER–III

MANAGEMENT COMMITTEE AND ITS MEMBERS

13. Constitution of Management Committees for Managed Units and subsidiary Units

(1) In relation to such of the Managed Units and subsidiary Units of the NDDB, in respect of which the Board takes the view that the management of their affairs can best be done through Management Committees, it may constitute Management Committees as provided in section 12.

(2) A senior officer of the NDDB designated for the purpose, or the senior-most officer of the subsidiary Unit or Managed Unit as the case may be, referred to in sub-regulation (1), shall be the Convenor of the Management Committee for that Managed Unit or subsidiary Unit and shall be responsible for its operations.

14. Meetings of Management Committee

(1) Every Management Committee shall meet as often as may be necessary for the conduct of business but not less than four times in a year.

(2) The Chairman of the NDDB, where he is a member of the Management Committee, shall be its Chairman, and where he is not a member, a Managing Director of the NDDB, who is member of the Committee, shall be the Chairman of the Committee.

(3) The meetings of the Management Committee shall be convened by the Convenor referred to in sub-regulation (2) of regulation 13, and in his absence, by the Chairman of the Management Committee, and the Committee shall meet at the head office of the NDDB or at any of its offices or of the concerned Unit at such times as the Chairman of the Management Committee may direct.

(4) Ordinarily a notice, of not less than ten days, shall be given for any meeting of the Committee indicating the business to be transacted at the meeting (the agenda for which shall be approved by the Chairman of the Management Committee), and shall be sent to every member provided that if the Chairman of the committee considers it necessary to hold a meeting of the Committee and notice need be given only to the members who urgently, the period shall stand reduced to five days are in India then.

(5) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be discussed at the meeting of the Committee except with the consent of the person presiding.

(6) Three members shall form the quorum for the transaction of business at the meeting in the Management Committee.

(7) The meeting shall be presided over by the Chairman or a Managing Director as the case may be.

(8) Every member shall have one vote and in the case of equality of votes, the person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(9) A copy of the proceedings of every meeting of the Committee shall be circulated for the information of the members as soon as possible after the minutes of the meeting are approved by the Chairman of the Management Committee and shall be placed before the Board.

15. Fees for attendance at meetings of the Management Committee.

Every member (other than the Chairman or Managing Director or an officer of the NDDB or of a subsidiary Unit or a Managed Unit or a Pilot Project) shall be paid by the NDDB for the attendance at any meeting of the Committee, a fee per day for each meeting at such rate as the Board may, from time to time, decide:

Provided that in the case of a member who is an official of the Central or State Government, he may claim travelling and halting expenses from the NDDB to the extent that he does not claim from the relevant Government.

16. Payment of travelling and halting allowance to members of the Committee.

Every member of a Management Committee (not being a Chairman or Managing Director or officer of the NDDB or of its Managed Unit or subsidiary Units) travelling to attend the meeting of the Management Committee shall, in addition to the fees to which he may be entitled under Regulation 15, be paid his travelling and halting expenses at the same rate as applicable to a Managing Director of the NDDB.

17. Duration of membership

When a person becomes a member of a Management Committee by reason of the office or post he holds, his membership of the Committee shall terminate when he ceases to hold that office of post, and the Board may replace him with his successor.

18. Removal of members from the Management Committee

(1) The Board may remove a member from the Management Committee —

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by the competent Court ; or

(b) if he is an undischarged insolvent ; or

(c) if he is convicted of an offence involving moral turpitude ; or

(d) if without the leave of the Chairman he fails to attend three consecutive meetings of the Committee ; or

(e) if he, without reasonable cause, fails to observe any of the provisions of the Act or of the regulations made thereunder.

(2) Without prejudice to the right of the Board to terminate earlier the term of any member of the Management Committee, all the members shall cease to be members of the committee on the expiry of three years from the date on which they became members of the Committee, but they may be reappointed.

(3) A person who is a member by virtue of his office shall attend the meeting of the committee himself and cannot authorise any other official to represent him at the meetings.

(4) A member who fails to observe any direction issued or to comply with any decision taken by the Management Committee, or whose conduct in any respect is, in the opinion of the Management Committee, derogatory in character or prejudicial to the interests of the NDDB or any of its Managed Units or subsidiacy Units, may be removed from the membership of the committee by the Board acting on the recommendations of the Chairman of the Management Committee.

(5) A resignation of any member from the Management Committee shall be tendered to the Chairman of the Committee and shall not take effect until it has been accepted by him after obtaining the concurrence of the Board.

19. Resolution of Management Committee adopted by circulation

Any resolution in writing circulated to the members of a Management Committee and approved by the majority of them shall, if it includes the Chairman or a Managing Director amongst its endorsees, be as valid and effective as a resolution passed by the Management Committee on the date on which it is signed by the last signatory, subject to atleast three members (including the Chairman or Managing Director as the case may be) having approved the resolution provided that every resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Management Committee for information.

20. Special arrangements for Managed Units

(1) In respect of any Managed Unit, the Chairman shall be competent to make such arrangements as he may deem fit for the management of the Unit and authorise the incurring of such expenditure as may be necessary in that connection.

(2) Every arrangement or authorisation made by the Chairman under sub-regulation (1) shall, as soon as may be, be placed before the Board.

CHAPTER-IV

GENERAL PROVISIONS

21. Manner and form in which contracts binding on NDDB may be executed

(1) Contracts (including guarantee) on behalf of the National Dairy Development Board may be made in the following manner, namely :—

(a) Any contract, which if made between private persons would by law be required to be in writing and signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the NDDB provided it is made in writing and signed by the Chairman or a Managing Director duly authorised by the Chairman, and may, in the same manner, be varied or discharged.

(b) Any person, not below the rank of a Managing Director, duly empowered by the Chairman in this behalf may, subject to such restrictions as the Chairman may deem fit to impose, authorise in writing any other officer or officers of the Board or any other body, or organisation under the administrative control of the Board, to execute and sign contracts on behalf of the Board.

(2) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be effective in law and shall bind the NDDB and all other parties thereto and their legal representatives.

(3) Contracts shall not be binding on the NDDB unless they are executed by the Chairman or a Managing Director or any officer authorised by the Chairman or the Managing Director.

(4) Neither a Managing Director nor any officer authorised to sign contracts shall be personally liable under any assurances or contracts made by the NDDB and any liability arising under such assurances or contracts shall be discharged by the NDDB.

22. Representation in Suits and Proceedings.

(1) A Managing Director or any officer authorised by the Chairman shall be competent to file and defend any suit or other proceedings on behalf of the NDDB.

(2) Plaints, written statements, affidavits and other documents concerned with legal proceedings may be signed and verified on behalf of the NDDB by a Managing Director or by any other officer duly authorised under sub-regulation (1) and every such officer may appear in or before the Court, Tribunal or other authority as the recognised agent of the NDDB for the purpose of the proceedings in that Court, Tribunal or other body and may execute vakalatnama, power of attorney or other authority in favour of any person for ensuring proper representation.

(3) The Chairman, Managing Director or an officer authorised by the Managing Director in this behalf shall be competent to compromise, settle or refer to arbitration any dispute relating to any of the activities of the NDDB.

23. Powers on behalf of NDDB by whom to be exercised

(1) Subject to the provisions of the Act, and the regulations made thereunder relating to expenditure to be incurred by or on behalf of the NDDB, and any direction which may be given by the Chairman either generally or in any particular case in regard to the conduct of the business of the NDDB, any Managing Director may exercise all or any of the powers and do all or any acts or things which may be exercised or done by the NDDB.

(2) Any other officer may, if so authorised by the Chairman, exercise all the powers in relation to matters pertaining to the department or office in which he is employed and in relation to such matters, do all acts and things which may be exercised or done by the NDDB to such extent as he may be authorised, subject however to the conditions hereinafter specified, namely :—

(a) the power to sanction or incur any expenditure on behalf of the NDDB shall be subject to such general or special directions as the Board or the Chairman may give from time to time;

(b) any other power exercised or action taken shall be exercised or taken subject to such directions if any, as may be given by any higher officer or authority in this behalf.

(3) No power exercised, functions performed or act or thing done shall be deemed to be invalid or ineffective only on the ground that it is not a power exercised, function performed or act or thing done, by or on behalf of the NDDB, or that it is done otherwise than in exercise of proper performance of such functions or in doing any act or thing effect has not been given to any regulation or to any direction, or that any such regulation or direction has been wrongly acted upon.

24. Service of notice to NDDB

A notice may be served on the NDDB by delivering it to a Managing Director or to any officer authorised in this behalf by a Managing Director, or by sending it by registered post to the Head Office of the NDDB.

25. Control by the Board

(1) Nothing in these regulations shall be deemed to affect the right of the Board to exercise powers of general superintendence, directions, control or management of affairs and business of the NDDB conferred on it under sub-section (1) of section 8 of the Act and it shall be competent to the Board to give any direction in pursuance thereof to the Chairman, Managing Directors or to the Management Committees, as the case may be.

(2) Nothing contained in sub-regulation (1) or elsewhere in this regulation shall be deemed to affect the powers of the Chairman to discharge the functions of the Board in pursuance of sub-section (2) of section 11 and where the Chairman has so exercised the powers of the Board, the same shall be reported to the Board.

26. Power to relax

Where the Chairman is satisfied that it is necessary to relax any of the provisions contained in these regulations relating to conduct of business so as to facilitate the carrying on of the functions to be performed by the NDDB more efficiently, or for any other like purpose, he may, with the concurrence of the Board, relax the same to such extent as may be necessary under the circumstances.

27. Residuary powers of Chairman

Without prejudice to the generality of the powers conferred on him under th Act and these regulations to take any acteon for securing the performance of the functions of the NDDB, it shall be competent to the Chairman, with the concurrence of the Board, to give interpretation, consistent with the tenor of these regulations, or to give elucidation in respect thereof, in relation to any case where a doubt arises.

28. Freedom and flexibility of operation preserved

The Board shall, in the conduct of its business, continue to have the freedom and flexibility of operation that was available to the erstwhile National Dairy Development Board immediately before the commencement of the Act.

29. Regulations to be placed before the Board

These regulations shall be placed before the Board at its first meeting.

V. KURIEN, Chairman,
National Dairy Development Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988